



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, झालाना लिंक रोड, जे.एल.एन. मार्ग,

जयपुर-302017 (फोन नं. 0141-2719136)

क्रमांक:- रा.सू.आ./विविध/2023/554-563

दिनांक:- 1-2-2023

परिपत्र

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलस करने वाले समस्त अपीलार्थियों को सूचित किया जाता है कि :-

1. अपीलार्थियों की अपीलस आर.टी.आई. पोर्टल अथवा डाक से भेजे जाने पर ही पंजीकृत की जाएगी।
2. राज्य सूचना आयोग की ई-मेल पर अपीलार्थी निम्नांकित दस्तावेज भिजवा सकते हैं :-
 - अपीलोत्तर
 - प्रतिक्रिया
 - बहस
3. कोर्ट में सुनवाई की तारीख से कम से कम तीन कार्यदिवस पूर्व उपरोक्त दस्तावेज भिजवाया जाना आवश्यक होगा।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रेषित दस्तावेजों की संख्या 5 पेज से अधिक होने पर ई-मेल द्वारा दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जाएंगे।




उप सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त-2, 3, 4, 5
3. सचिव, सूचना आयोग।
4. रजिस्ट्रार, सूचना आयोग।
5. प्रोग्रामर, सूचना आयोग को भेज कर लेख है कि उपरोक्त परिपत्र को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. नोटिस बोर्ड।
7. रक्षित पत्रावली


उप सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर